निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री बद्रीनारायण मीणा पुत्र श्री गंगू, ग्राम काशीपुरा, तहसील बस्सी, थाना कोटखावदा, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 25 घरेलू गैस सिलेण्डर (17 एच.पी.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 61.700 किलोग्राम एवं तीन विद्युत मोटर मय रबड पाईप मय वायर मय नोजल मय रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रवि शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से अवैध रूप से गैस भरने सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 31.03.2024 को शहीद की मोरी के पास, प्लॉट नम्बर 6, न्यू कॉलोनी, द्वितीय, जगतपुरा रेल्वे लाईन के पास, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर अप्रार्थी को घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग करते हुये पाया गया है। परिसर की तलाशी करने पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर (17 एच.पी.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल.) पाये गये। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डरर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.04.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रवि शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि शहीद की मोरी के पास, प्लॉट नम्बर 6, न्यू कॉलोनी, द्वितीय, जगतपुरा रेल्वे लाईन के पास, जिला जयपुर की जांच अप्रार्थी श्री बद्रीनारायण मीणा की उपस्थिति में की गई। परिसर की जांच करने पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर (17 एच.पी.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल.), तीन विद्युत मोटर, रबड पाईप, वायर मय नोजल, रेग्यूलेटर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से एल.पी.जी. को वाहनो व थ्री व्हीलर ऑटो में 75 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से भरने का कार्य किया जाता है। मौके पर मैसर्स लक्ष्य इण्डेन गैस जगतपुरा के प्रतिनिधि को बुलाकर घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

सिलेण्डर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 61.700 किलोग्राम एल. पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के क्रय, विक्रय, भण्डारण, बेचान व वाहनो में गैस भरने के न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किये गये और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्लॉट नम्बर 6, न्यू कॉलोनी, द्वितीय, जगतपुरा रेल्वे लाईन के पास, जिला जयपुर प्रार्थी व उसके परिवार का शामलाती भूखण्ड है। प्रार्थी स्कूल व प्राईवेट कम्पनी में वाहन चालक का कार्य करता है। उक्त भू–खण्ड पर उसके चचेरे भाई के जानकार हॉकर जो सिलेण्डर सप्लाई करते है गैस कम्पनी के सिलेण्डर खाली भू–खण्ड मे कम्पनी की गाडी से उतरवा कर रखते है एवं वहां से कॉलोनी में सप्लाई करते है। उसमे प्रार्थी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रार्थी के पास किसी प्रकार की कोई मशीन इत्यदि नहीं थी। जब्त किये गये सिलेण्डर में प्रार्थी के स्वयं के केवल तीन सिलेण्डर है, शेष सिलेण्डर प्रार्थी के नहीं है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर में से तीन सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं के है अतः तीन सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावे।

6. विभागीय पैराकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 31.03.2024 को भंलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 25 घरेलू गैस सिलेण्डर (17 एच.पी.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 61.700 किलोग्राम एवं तीन विद्युत मोटर मय रबड पाईप मय वायर मय नोजल मय रेग्यूलेटर पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त धरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से वाहनो में एल.पी.जी. स्थानान्तरित कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 25 घरेलू गैस सिलेण्डर (17 एच.पी.सी.एल. एवं 08 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 61.700 किलोग्राम एवं तीन विद्युत मोटर मय रबड पाईप मय वायर मय नोजल मय रेग्यूलेटर को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 29.04.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner